



उत्तर प्रदेश शासन

1990-91

के

आय-व्ययक

पर

श्वेत-पत्र

NIEPA DC



D05192

उत्तर प्रदेश शासन
1990-91 के आय-व्ययक पर
श्वेत-पत्र

इस श्वेत-पत्र में 1988-89 के वास्तविक आंकड़ों और 1989-90 के पुनरीक्षित अनुमानों पर आधारित राज्य की वित्तीय स्थिति की संक्षिप्त समीक्षा नीचे दी गई है। इसमें 1990-91 के आय व्ययक की मुख्य मुख्य बातें भी बताई गई हैं।

1988-89 का लेखा

नीचे दिये हुए विवरण-पत्र में 1988-89 के लेखे संक्षेप में दिये गये हैं:—

(करोड़ रुपयों में)

1	मूल आय-व्ययक अनुमान	वास्तविक आंकड़े*
2	3	
प्रारम्भिक शेष	(-) 199.00	(-) 25.80
1—समेकित निधि		
प्राप्तियां—		
राजस्व लेखे की प्राप्तियां	5173.69	5652.20
पूँजी लेखे की प्राप्तियां—		
ऋणों से प्राप्तियां	2979.91	2025.49
ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां	88.50	176.73
योग, पूँजी लेखे की प्राप्तियां	3068.41	2202.22
योग, प्राप्तियां	8242.10	7854.42
व्यय—		
राजस्व लेखे का व्यय	5133.66	6256.76
पूँजी लेखे का व्यय—		
पूँजीगत परिव्यय	793.71	934.14
ऋणों का प्रतिदान	1509.71	567.57
ऋण और अग्रिम	563.85	440.23
योग, पूँजी लेखे का व्यय	2867.27	1941.94
योग, व्यय	8600.93	8198.70
समेकित निधि में घाटा (-)/वचत (+)	(-) 358.83	(-) 344.28
2—आकस्मिकता निधि (शुद्ध)	25.00	(-) 52.88
3—लोक खाता (शुद्ध)	307.71	327.62
समस्त लेन-देनों का शुद्ध परिणाम	(-) 26.12	(-) 69.54
अंतिम शेष	(-) 225.12	(-) 95.34

* महालेखाकार के लेखों के अनुसार।

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B SriAurobindo Marg, New Delhi-110016
DOC No.....51.92
Date.....3/4/90

राजस्व लेखे की प्राप्तियां

वर्ष 1988-89 के मूल अनुमानों की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में समग्र रूप से 4,78,51 लाख रुपये की वृद्धि हुई है जो निम्नलिखित न्यूनाधिकताओं के कारण है :-

(लाख रुपयों में)

	आय व्ययक अनुमान 1988-89	वास्तविक आंकड़े 1988-89	न्यूनाधिकतायें वृद्धि (+) कमी (-)
(i) केन्द्रीय करों में राज्य सरकार का अंश (अतिरिक्त संधीय उत्पादन शुल्क मिलाकर)	16,95,76	17,66,09	(+) 70,33
(ii) राज्य सरकार का कर-राजस्व (जिसमें भू-राजस्व सम्मिलित है किन्तु अतिरिक्त संधीय उत्पादन शुल्क में राज्य सरकार का अंश सम्मिलित नहीं है)	18,71,87	20,65,74	(+) 1,93,87
(iii) भारत सरकार से सहायता अनुदान एवं अन्य प्राप्तियां	10,28,32	11,15,72	(+) 87,40
(iv) अन्य प्राप्तियां	5,77,74	7,04,65	(+) 1,26,91
योग	51,73,69	56,52,20	(+) 4,78,51

वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर संधीय उत्पादन शुल्क (आधारिक और अतिरिक्त) तथा आयकर के विभाज्य सामुच्च्य में- राज्य सरकार के अंश के अन्तर्गत प्राप्तियां क्रमशः 5339 तथा 1688 लाख रुपये अधिक रहीं।

मुख्यतः करापवंचन की रोकथाम के सम्बन्ध में प्रभावी कदम उठाये जाने के फलस्वरूप तथा कर देने वाले व्यापारियों की संख्या में वृद्धि के कारण बिक्रीकर के अन्तर्गत प्राप्ति 6669 लाख रुपये अधिक रहीं। मुख्यतः स्टाम्प की बिक्री तथा विलेखों के मूल्यांकन पर शुल्क में अधिक प्राप्तियां होने के कारण स्टाम्प और पंजीकरण के अधीन प्राप्तियां 5176 लाख रुपये अधिक रहीं। "वाहनों पर कर, बिजली पर कर और शुल्क" "माल और यात्रियों पर कर" वस्तुओं और भेवाओं पर कर" और शुल्क तथा भू-राजस्व के अन्तर्गत प्राप्तियां क्रमशः 3462 लाख रुपये, 2198 लाख रुपये, 1275 लाख रुपये, 753 लाख रुपये तथा 577 लाख रुपये अधिक रहीं। इसके विपरीत राज्य उत्पाद शुल्क के अन्तर्गत प्राप्तियां 7,26 लाख रुपये कम रहीं।

केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं, आयोजनेतर योजनाओं तथा राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिये मिलने वाली केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत क्रमशः 159.91 करोड़ रुपये, 25.79 करोड़ रुपये तथा 9.17 करोड़ रुपये की अधिक सहायता प्राप्त हुई है। इसके विपरीत केन्द्र द्वारा प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिये मिलने वाली सहायता में 107.47 करोड़ रुपये की कमी रहीं।

पूंजी निवेश में वृद्धि के कारण वाणिज्यिक उपक्रमों तथा अन्य संस्थाओं से ब्याज प्राप्तियां मूल अनुमान की तुलना में 4256 लाख रुपये अधिक रहीं। विविध सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत प्राप्तियां मुख्यतः राज्य लाटरी के अन्तर्गत अधिक प्राप्तियों के कारण 3660 लाख रुपये अधिक रहीं। अलौह धातु खनन और धातु कर्म उद्योग के अन्तर्गत प्राप्तियां 1855 लाख रु० अधिक रहीं। इसके अतिरिक्त ऊर्जा के अन्तर्गत भी लेखों में 4303 लाख की प्राप्तियां प्रदर्शित हुईं जब कि मूल अनुमान शून्य था। अन्य उद्योग कृषि कार्य, लोक निर्माण, अन्य सामाजिक सेवायें, अन्य प्रशासनिक सेवायें, वानिकी और वन्य जीवन, लघु सिंचाई, "अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सड़क और पुल, पुलिस, पर्यटन, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, पेशतों और अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के सम्बन्ध में अंशदान और वसूलियां, ग्रामीणोद्योग और लघु उद्योग, नागरिक पूर्ति, तथा जलपूर्ति और सफाई के अन्तर्गत प्राप्तियां क्रमशः 912 लाख रुपये, 807 लाख रुपये, 582 लाख रुपये, 567 लाख रुपये, 546 लाख रुपये, 489 लाख रुपये, 485 लाख रुपये, 446 लाख रुपये, 320 लाख रुपये, 198 लाख रुपये, 177 लाख रुपये, 157 लाख रुपये, 133 लाख रुपये, 91 लाख रुपये, 55 लाख रुपये तथा 44 लाख रुपये अधिक रहीं। इसके विपरीत सिंचाई कार्यों के लिये जल की मांग अपेक्षाकृत कम होने के कारण बृहद और मध्यम सिंचाई के अन्तर्गत प्राप्तियां 4162 लाख रुपये कम हुईं। मुख्यतः वाणिज्यिक उपक्रमों तथा अन्य उपक्रमों से अपेक्षाकृत कम लाभांश प्राप्त होने के कारण लाभांश और लाभ के अन्तर्गत प्राप्तियां 1651 लाख रुपये कम हुईं। शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति, लेखन सामग्री और मुद्रण, चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य, पशुपालन, ऊर्जा के गैर पारम्परिक स्रोत, श्रम और नियोजन, आवासन तथा जेलों के अन्तर्गत प्राप्तियां क्रमशः 947 लाख रुपये, 242 लाख रुपये, 225 लाख रुपये, 116 लाख रुपये, 72 लाख रुपये, 60 लाख रुपये, 57 लाख रुपये तथा 46 लाख रुपये कम रहीं।

पूंजी लेखे की प्राप्तियां--

ऋणों से प्राप्तियां--

राज्य सरकार द्वारा लिये जाने वाले ऋणों के संबंध में मूल आय-व्ययक में यह अनुमान लगाया गया था कि वर्ष में कुल 2979.91 करोड़ रुपये के ऋण प्राप्त होंगे, जिसमें रिजर्व बैंक से प्राप्त किये जाने वाले अर्थोपाय अग्रिमों की 1,000 करोड़ रुपये की धनराशि भी सम्मिलित की गई थी किन्तु लेखों के अनुसार वर्ष में ऋणों से कुल प्राप्ति 2025.49 करोड़ रुपये रही जिसमें रिजर्व बैंक से प्राप्त 198.95 करोड़ रुपये के अर्थोपाय अग्रिमों की धनराशि भी सम्मिलित है। इस राशि को निकाल कर वर्ष में अन्य ऋणों की वास्तविक प्राप्तियां 1826.54 करोड़ रुपये रही जो उनके मूल अनुमानों से 153.37 करोड़ रुपये कम है।

ऋणों के अन्तर्गत बाजार ऋणों के 379.01 करोड़ रुपये के मूल अनुमान के समक्ष 407.67 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त हुआ। स्टेट बैंक से खाद्यान्न व्यापार हेतु उपलब्ध क्रेडिट की मुविधा के अधीन 56.74 करोड़ रुपये के अनुमान के समक्ष 26.00 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त किया गया। भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त होने वाले ऋणों के लिये मूलतः 9.60 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया था तथा वास्तव में ऋण भी इसी सीमा तक प्राप्त हुआ। अन्य संस्थाओं से मूल बजट में अनुमानित 15.80 करोड़ रुपये की प्राप्ति के समक्ष वास्तविक प्राप्ति 45.22 करोड़ रुपये की हुई।

केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाले ऋणों के 1518.77 करोड़ रुपये के कुल अनुमान की तुलना में वास्तविक प्राप्ति 1338.05 करोड़ रुपये की हुई। आयोजनेतर ऋणों के अन्तर्गत अल्प बचत तथा खाद एवं उर्वरक के लिये अनुमानित क्रमशः 600.00 करोड़ रुपये तथा 60 करोड़ रुपये की प्राप्ति के समक्ष वास्तविक प्राप्ति 688.90 करोड़ रुपये तथा 38.05 करोड़ रुपये की हुई। राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिये 831.74 करोड़ रुपये के मूल अनुमान के समक्ष 589.03 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त हुआ। केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिये 9.51 करोड़ रुपये के ऋण की प्राप्ति का मूल अनुमान था परन्तु वास्तव में 0.12 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त हुआ। इसके विपरीत केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए ऋणों की प्राप्ति के 15.59 करोड़ रुपये के मूल अनुमान के समक्ष वास्तविक प्राप्ति 18.39 करोड़ रुपये की हुई। इसके अतिरिक्त लेख में 1.47 करोड़ रुपये की प्राप्ति केन्द्र सरकार से आलोच्य वर्ष के दौरान प्राप्त अर्थोपाय अग्रिमों के रूप में भी प्रदर्शित है, जिसके लिये मूल बजट में कोई व्यवस्था नहीं थी।

ऋणों और अग्रिमों की वसूलियाँ—

राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों और अग्रिमों की वसूली के संबंध में 88.50 करोड़ रुपये के मूल अनुमान की तुलना में वास्तविक वसूली 176.73 करोड़ रुपये की हुई। वसूलियों में वृद्धि मुख्यतः सहकारिता के लिये उधार, आवास के लिये उधार, सरकारी सेवकों आदि को उधार, खाद्य भंडार तथा भंडागारण के लिये उधार, ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों के लिये उधार, सीमेन्ट और धातु भिन्न उद्योगों के लिये उधार तथा उभोक्ता उद्योगों के लिये उधार के अन्तर्गत हुई।

राजस्व लेखे का व्यय—

वर्ष 1988-89 के लिये मूल प्राय-व्यय में राजस्व व्यय हेतु 5733.66 करोड़ रुपये की व्यवस्था थी जिसमें केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं, केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं और राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिये आयोजनागत पक्ष में 1321.70 करोड़ रुपये और आयोजनेतर पक्ष में 4411.96 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित था किन्तु वर्ष के दौरान व्यय में 523.10 करोड़ रुपये की वृद्धि के फलस्वरूप राजस्व व्यय 6256.76 करोड़ रुपये हुआ।

आयोजनागत पक्ष में व्यय 1529.67 करोड़ रुपये रहा जो मूल अनुमान से 207.97 करोड़ रुपये अधिक है। सरकारी तथा अन्य कर्मचारियों को स्वीकृत किये जाने वाले महंगाई भत्ते में वृद्धि, वेतन पुनरीक्षण आदि के लिये एक मुश्त प्राविधान की राशि को संबंधित कार्यात्मक शीर्षकों से वहन किये जाने के कारण सचिवालय सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत 30 करोड़ रुपये के प्राविधान को समर्पित करके यह व्यय कार्यात्मक शीर्षकों से वहन किये जाने के फलस्वरूप संबंधित शीर्षकों से वृद्धि हुई है। इस वृद्धि को सम्मिलित करके बड़ी-बड़ी अधिकताओं को आगे स्पष्ट किया गया है। मुख्यतः भारत सरकार से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशि प्राप्त होने तथा निर्धारित कार्यक्रमों और नई योजनाओं के लिये अधिक धन उपलब्ध कराये जाने के कारण ग्रामीण रोजगार के अन्तर्गत व्यय 5502 लाख रुपये का, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिक धन उपलब्ध कराये जाने के कारण ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत 4945 लाख रुपये का, पहाड़ी क्षेत्र के विकास के लिये अधिक धन उपलब्ध कराये जाने के कारण पहाड़ी क्षेत्र के अन्तर्गत 4936 लाख रुपये का अधिक व्यय हुआ। इसी प्रकार सामान्य शिक्षा के अन्तर्गत व्यय 4699 लाख रुपये अधिक रहा। परिवार कल्याण, कृषि कार्य, चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य भू-राजस्व, भ्रम और रोजगार, पशुपालन, कला और संस्कृति, उद्योगों और खनिजों पर अन्य परिव्यय, कृषि अनुसंधान और शिक्षा, मीन उद्योग, शहरी विकास, तकनीकी शिक्षा, पर्यटन, देवी विपत्तियों के संबंध में राहत, अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सूचना और प्रचार के अन्तर्गत व्यय क्रमशः 2334 लाख रुपये, 1880 लाख रुपये, 1417 लाख रु०, 435 लाख रुपये, 403 लाख, 333 लाख रुपये, 301 लाख रुपये, 284 लाख रुपये, 213 लाख रुपये, 170 लाख रुपये, 168 लाख रु०, 164 लाख रु०, 109 लाख रु०, 73 लाख रु० व 73 लाख रु० तथा 48 लाख रुपये अधिक हुआ। इसके विपरीत सरकारी तथा अन्य कर्मचारियों को स्वीकृत किये जाने वाले महंगाई भत्ते तथा वेतन पुनरीक्षण आदि के लिये एक मुश्त प्राविधान की राशि को संबंधित कार्यात्मक तथा लेखा शीर्षकों से वहन किये जाने के फलस्वरूप सचिवालय सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत 3001 लाख रुपये व्यय कम रहा। सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, लघु सिंचाई, कमान क्षेत्र विकास, जल पूति और सफाई, भू और जल संरक्षण, वानिकी और वन्य जीवन, ग्रामोद्योग और लघु उद्योग, अन्य राजकोषीय सेवाएँ, जेलें, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण सड़कें और पुल तथा अन्य कृषि कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रमशः 1277 लाख रुपये, 715 लाख रुपये, 668 लाख रु०, 494 लाख रुपये, 471 लाख रुपये, 363 लाख रुपये, 224 लाख रुपये, 199 लाख रुपये, 122 लाख रुपये, 93 लाख रुपये, 91 लाख रु०, 56 लाख रुपये तथा 54 लाख रुपये का व्यय कम हुआ।

आयोजनेतर पक्ष में 4411.96 करोड़ रुपये के मूल अनुमान के विरुद्ध वास्तविक व्यय 4727.09 करोड़ रुपये हुआ जो 315.13 करोड़ रुपये अधिक है। मुख्यतः सरकारी तथा अन्य कर्मचारियों को स्वीकृत किये जाने वाले महंगाई भत्ते तथा वेतन पुनरीक्षण आदि के कारण विभिन्न कार्यात्मक शीर्षकों में व्यय में वृद्धि हुई। सामान्य शिक्षा के अन्तर्गत व्यय 14562 लाख रुपये अधिक रहा। वृहद और मध्यम सिंचाई, लोक निर्माण, पुलिस, पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, देवी विपत्तियों के संबंध में राहत तथा चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य परिवार के अन्तर्गत व्यय में क्रमशः 9500 लाख रुपये, 5248 लाख रुपये, 4674 लाख रुपये, 4161 लाख रुपये, 3902 लाख रुपये, 3745 लाख रुपये तथा 2883 लाख रुपये की वृद्धि हुई। इसी प्रकार लघु सिंचाई के अन्तर्गत 1563 लाख रुपये अन्य प्रशासनिक सेवाएँ के अन्तर्गत 1175 लाख रुपये, बिक्रीकर के अन्तर्गत 986 लाख रुपये, भू-राजस्व के अन्तर्गत 944 लाख रुपये

पशुपालन के अन्तर्गत 670 लाख रुपये, वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क के अन्तर्गत 587 लाख रुपये ब्याज के संदाय के अन्तर्गत 539 लाख रुपये, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत 474 लाख रुपये, सड़कों और पुल के अन्तर्गत 427 लाख रुपये, शहरी विकास के अन्तर्गत 427 लाख रुपये, खाद्य, भण्डारण और भण्डागारण के अन्तर्गत 322 लाख रुपये, कृषि कार्य के अन्तर्गत 298 लाख रुपये, श्रम और रोजगार के अन्तर्गत 293 लाख रुपये, सूचना और प्रचार के अन्तर्गत 264 लाख रुपये, खेल और युवा कल्याण के अन्तर्गत 264 लाख रुपये, विविध सामान्य सेवायों के अन्तर्गत 261 लाख रुपये, स्टाम्प और पंजीकरण के अन्तर्गत 235 लाख रुपये, निर्वाचन के अन्तर्गत 232 लाख रुपये, राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/राज्य संघ/राज्य क्षेत्रों के प्रशासक के अन्तर्गत 173 लाख रुपये, सहकारिता के अन्तर्गत 157 लाख रुपये, जेलों के अन्तर्गत 151 लाख रुपये, वानिकी और वन्य जीवन के अन्तर्गत 136 लाख रुपये, आवास के अन्तर्गत 119 लाख रुपये, न्याय प्रशासन के अन्तर्गत 87 लाख रुपये, जिला प्रशासन के अन्तर्गत 84 लाख रुपये, जल पूर्ति और सफाई के अन्तर्गत 83 लाख रुपये, लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत 69 लाख रुपये, उद्योग के अन्तर्गत 60 लाख रुपये, तथा राजकोष और लेखा प्रशासन के अन्तर्गत 57 लाख रुपये व्यय अधिक रहा। इसके विपरीत मुख्यतः सरकारी तथा अन्य कर्मचारियों को स्वीकृत किये जाने वाले महंगाई भत्ते तथा वेतन पुनरीक्षण आदि के लिये किये गये एक मुश्किल प्राविधान की धनराशि को कार्यात्मक शीर्षकों से बहन किये जाने के फलस्वरूप सचिवालय सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत 26663 लाख रुपये की वचत हुई। ग्रामोद्योग और लघु उद्योग, तकनीकी शिक्षा, बाढ़ नियंत्रण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण तथा स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन के अन्तर्गत व्यय क्रमशः 1184 लाख रुपये, 264 लाख रुपये, 82 लाख रुपये, 76 लाख रुपये तथा 56 लाख रुपये कम हुआ।

पूँजी लेखा का व्यय—

मूल आय-व्ययक में पूँजीगत व्यय के लिये 793.71 करोड़ रुपये की व्यवस्था थी जिसमें से आयोजनागत पक्ष में 786.43 करोड़ रुपये रखा गया था तथा आयोजनेतर पक्ष में 7.28 करोड़ रुपये की व्यवस्था रखी गयी थी वर्ष का वास्तविक व्यय 934.14 करोड़ रुपये रहा जिसमें से 998.47 करोड़ रुपये आयोजनागत पक्ष का है, आयोजनेतर पक्ष में वसूलियाँ जिन्हें व्यय से घटा दिया जाता है, व्यय से 64.33 करोड़ रुपये अधिक रही।

आयोजनागत पक्ष में वर्ष का व्यय मूल अनुमान से 212.04 करोड़ रुपये अधिक रहा। टिहरी हाइड्रो पावर कम्प्लेक्स के निर्माण कार्यों पर अधिक व्यय, कर्मचारियों को परिलब्धियों में वृद्धि तथा भारत सरकार से खाद्य उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिक केन्द्रीय सहायता प्राप्त होने के फलस्वरूप वृहद एवं मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय 8840 लाख रुपये अधिक रहा। मुख्यतः बाढ़ राहत कार्यों हेतु अधिक केन्द्रीय सहायता प्राप्त होने तथा विभिन्न योजनाओं के विस्तार के लिये अधिक धन उपलब्ध कराये जाने के कारण सहकारिता पर पूँजी परिव्यय 3012 लाख रुपये अधिक रहा। नई सड़कों तथा पुलों के निर्माण व पुरानी सड़कों तथा पुलों के रख-रखाव पर आवश्यकतानुसार अधिक व्यय किये जाने के कारण "सड़कों और पुलों" पर पूँजी परिव्यय 2920 लाख रु अधिक रहा। मुख्यतः उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम के अंशकों में विनियोजन के कारण "सड़क परिवहन" पर पूँजी परिव्यय 2390 लाख रुपये अधिक रहा। आवश्यकता के आधार पर लघु सिंचाई पर पूँजी परिव्यय 2143 लाख रुपये अधिक रहा। पर्वतीय क्षेत्रों की आवश्यकता के आधार पर अधिक धन उपलब्ध कराये जाने के कारण पहाड़ी क्षेत्रों पर पूँजी परिव्यय 1807 लाख रुपये अधिक रहा। इसी प्रकार आवश्यकता के आधार पर शिक्षा, खेल कला और संस्कृति पर पूँजी परिव्यय 1627 लाख रुपये, चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूँजी परिव्यय 1213 लाख रुपये, आवास पर पूँजी परिव्यय 1186 लाख रुपये, विद्युत् परियोजनाओं पर पूँजी परिव्यय 745 लाख रुपये, उद्योगों और खनिजों पर पूँजी परिव्यय 625 लाख रुपये, सरकारी निर्माण कार्यों पर पूँजी परिव्यय 600 लाख रुपये, कृषि कार्य पर पूँजी परिव्यय 419 लाख रुपये, अलौह धातु खनन और धातु कर्म उद्योगों पर पूँजी परिव्यय 347 लाख रुपये, पर्यटन पर पूँजी परिव्यय 252 लाख रुपये, बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूँजी परिव्यय 246 लाख रुपये, ग्रामोद्योग और लघु उद्योगों पर पूँजी परिव्यय 221 लाख रुपये, सीमेंट और धातु भिन्न खनिज उद्योगों पर पूँजी परिव्यय 200 लाख रुपये, दूर संचार और इलेक्ट्रॉनिकी उद्योगों पर पूँजी परिव्यय 187 लाख रुपये, पशुपालन पर पूँजी परिव्यय 140 लाख रुपये, अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजी परिव्यय 116 लाख रुपये, खाद्य तथा भंडारण और भंडागारण पर पूँजी परिव्यय 84 लाख रुपये, सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं पर निवेश 59 लाख रुपये तथा डेरी विकास पर पूँजी परिव्यय 37 लाख रुपये अधिक रहा। इसके विपरीत उपभोक्ता उद्योगों पर पूँजी परिव्यय तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजी परिव्यय के अन्तर्गत व्यय क्रमशः 5459 लाख रुपये, तथा 2568 लाख रुपये कम हुआ है। इसी प्रकार अन्य विकास कार्यक्रमों, शहरी विकास तथा जल पूर्ति और मल निकासी के अन्तर्गत व्यय क्रमशः 161 लाख रुपये, 50 लाख रुपये तथा 46 लाख रुपये कम हुआ।

आयोजनेतर पक्ष का व्यय 71.61 करोड़ रुपये कम रहा। खाद्य विभाग की वे प्राप्तियाँ जिन्हें व्यय से घटा दिया जाता है, व्यय से अधिक रहने के कारण "खाद्य भण्डारण और भण्डागारण पर पूँजी परिव्यय 7842 लाख रुपये कम रहा। सड़कों और पुलों पर पूँजी परिव्यय भी 522 लाख रुपये व्यय कम हुआ। इसके विपरीत कृषि कार्य पर पूँजी परिव्यय 935 लाख रुपये, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजी परिव्यय 106 लाख रुपये, सरकारी निर्माण कार्यों पर पूँजी परिव्यय 103 लाख रुपये तथा जल पूर्ति और मल निकासी पर पूँजी परिव्यय 26 लाख रुपये अधिक रहा।

ऋणों का प्रतिदान—

राज्य सरकार द्वारा लिये गये ऋणों के सम्बन्ध में प्रतिदान के लिये मूल आय व्ययक में 1509.71 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी जिसके समक्ष वास्तविक प्रतिदान 567.57 करोड़ रुपये का रहा। प्रतिदान में कमी मुख्यतः रिजर्व बैंक से लिये गये आर्थोपाय अग्रिमों से सम्बन्धित 1000 करोड़ रु के अनुमान के समक्ष केवल 96.36 करोड़ रुपये की समायोजन प्रविष्टि के तिरिक्त स्टेट बैंक आफ इण्डिया तथा राज्य आयोजनागत योजनाओं के निमित्त वास्तविक आवश्यकता के अनुसार कम प्रतिदान किये जाने के कारण है।

ऋणों और ऋणियों का संवितरण---

मूल अनुमानों में ऋणों के संवितरण के लिये 563.85 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी जिसमें 465.43 करोड़ रुपये की धनराशि आयोजनागत योजनाओं के अन्तर्गत वितरित किये जाने वाले ऋणों के लिये थी और शेष 98.42 करोड़ रुपये की धनराशि आयोजनेतर ऋणों के लिये थी। वर्ष के दौरान वास्तव में 440.23 करोड़ रुपये की धनराशि वितरित की गयी जिसमें 356.41 करोड़ रुपये की धनराशि आयोजनागत योजनाओं के लिये तथा 83.82 करोड़ रुपये की धनराशि आयोजनेतर मदों के लिये वितरित की गई।

आयोजनागत पक्ष में उक्त कमी मुख्यतः विद्युत् परियोजनाओं तथा शहरी विकास के लिये उधार तथा आयोजनेतर पक्ष में कृषि कार्य के लिये उधार के अन्तर्गत कम ऋण वितरण के कारण हुई।

आकस्मिकता निधि---

मूल अनुमानों में यह प्रकल्पना की गई थी कि आलोच्य वर्ष के दौरान विगत वर्ष में आकस्मिकता निधि से लिये गये ऋणियों में से 75 करोड़ रुपये की धनराशि की प्रतिपूर्ति हो सकेगी तथा 50 करोड़ रुपये के ऋणित वर्ष के अन्त में प्रतिपूर्ति हेतु शेष रह जायेंगे। अतः निधि की 25 करोड़ रुपये की अनुमानित शुद्ध प्राप्ति के विरुद्ध वास्तव में 52.88 करोड़ रुपये का शुद्ध संवितरण रहा।

लोक लेखा---

मुख्यतः लोक लेखा के अन्तर्गत लेन देनों का सम्बन्ध राज्य सरकार द्वारा निर्मित ऋण शोधन निधियों से तथा विभिन्न निकायों के निक्षेपों और उन अन्य निक्षेपों आदि से है, जिसके सम्बन्ध में राज्य सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। कुल 307.71 करोड़ रुपये की मूलतः अनुमानित शुद्ध प्राप्ति की तुलना में वर्ष में हुए लेन देनों के फलस्वरूप 327.62 करोड़ रुपये की शुद्ध प्राप्ति लेख में प्रदर्शित है।

वास्तविक आंकड़ों में प्रदर्शित शुद्ध प्राप्तियों में 19.91 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि मुख्यतः राज्य भविष्य निधियों के अन्तर्गत शुद्ध प्राप्ति अधिक होने के कारण हुई है।

समस्त लेन देनों का शुद्ध परिणाम---

मूल आय व्ययक अनुमानों के अनुसार वर्ष के समस्त लेन देनों का शुद्ध परिणाम (-) 26.12 करोड़ रुपये आंका गया था किन्तु वास्तविक आंकड़ों के आधार पर यह बढ़कर (-) 69.54 करोड़ रुपये हो गया और तदनुसार वर्ष का (-) 25.80 करोड़ रुपये का वास्तविक प्रारम्भिक शेष वर्ष के अन्त में बढ़कर (-) 95.34 करोड़ रुपये हो गया।

वास्तविक आंकड़ों के अन्तर्गत प्रदर्शित सभी आंकड़े महालेखाकार के लेखों पर आधारित हैं। रिजर्व बैंक के यथा संशोधित आंकड़ों के अनुसार वर्ष का अन्तिम शेष (+) 116.33 करोड़ रुपये रहा है।

पुनरीक्षित अनुमान 1989-90

निम्नलिखित विवरण पत्र में स्थिति का राश दिया गया है:--

(कराड़ रुपये में)

1	मूल आय-व्ययक अनुमान		पुनरीक्षित अनुमान	
	1989-90	1989-90	1989-90	1989-90
	2	3		
प्रारम्भिक क्षेत्	(-) 99.25	(+) 116.33*
1--समेकित निधि--				
प्राप्तियां--				
राजस्व लेखों की प्राप्तियां	6160.00	6329.54
पूँजी लेख की प्राप्तियां--				
ऋणों से प्राप्तियां	3427.96	2791.95
ऋणों और अग्रिमों की वसुलियां	47.07	80.42
आकस्मिकता निधि से अन्तरण	300.00
योग, पूँजी लेखों की प्राप्तियां	3475.03	3172.37
योग, प्राप्तियां	9635.03	9501.91
व्यय--				
राजस्व लेखों का व्यय	8641.89	7709.87
पूँजी लेखों का व्यय--				
पूँजीगत परिव्यय	780.99	974.13
ऋणों का प्रतिदान	1577.72	1044.34
ऋण और अग्रिम	505.74	622.84
आकस्मिकता निधि में विनियोग	500.00
योग, पूँजी लेखों का व्यय	2864.45	3141.31
योग, व्यय	11506.34	10851.18
समेकित निधि में घाटा (-)/बचत (+)	(-) 1871.31	(-) 1349.27
2--आकस्मिकता निधि (शुद्ध)	(+) 197.13
3--लोक खाता (शुद्ध)	(+) 1813.53	(+) 908.38
समस्त लेनदेनों का शुद्ध परिणाम	(-) 57.78	(-) 243.76
अतिम शेष	(-) 157.03	(-) 127.43

*भारतीय रिज़र्व बैंक के खातों के अनुसार

राजस्व लेखे की प्राप्तियां

वर्ष 1989-90 का राजस्व प्राप्तिियों के मूल अनुमान की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान में 1,69,54 लाख रुपये की वृद्धि प्रदर्शित है, जो निम्नलिखित न्यूनाधिकताओं के फलस्वरूप हुई है :-

(लाख रुपयों में)

	आय-व्ययक अनुमान 1989-90	पुनरीक्षित अनुमान 1989-90	न्यूनाधिकतायें वृद्धि (+) कमी (-)
1--केन्द्रीय करों में राज्य सरकार का अंश (अतिरिक्त संघीय उत्पादन शुल्क को मिलाकर)	20,09,82	21,64,56	(+) 1,54,74
2--राज्य सरकार का कर राजस्व (जिसमें भू-राजस्व सम्मिलित है, किन्तु अतिरिक्त संघीय उत्पादन शुल्क में राज्य का अंश सम्मिलित नहीं है)	22,09,01	22,96,06	(+) 87,05
3--भारत सरकार से सहायक अनुदान और अन्य प्राप्तियां	11,95,33	10,92,23	(-) 1,03,10
4--अन्य प्राप्तियां	7,45,84	7,76,69	(+) 30,85
योग	61,60,00	63,29,54	(+) 1,69,54

भारत सरकार से प्राप्त संकेतों के अनुसार संघीय उत्पादन-शुल्क (आधारिक और अतिरिक्त) के विभाज्य समुच्चय में राज्य सरकार का अंश 1,54,74 लाख रुपये अधिक अनुमानित है।

मुख्यतः करावबन्धन की रोकथाम के सम्बन्ध में प्रभावी कदम उठाये जाने तथा कर देने वाले प्रतिष्ठानों/व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि के कारण विक्रीकर के अधीन प्राप्तियां 5092 लाख रुपये अधिक रखी गई है। मुख्यतः आय की प्रगति के आधार पर स्टाम्प और पंजीकरण, राज्य उत्पादन शुल्क, बिजली पर कर और शुल्क, माल और यात्रियों पर कर तथा वाहनों पर कर के अधीन प्राप्तियां क्रमशः 2052 लाख रुपये, 980 लाख रुपये, 448 लाख रुपये, 79 लाख रुपये तथा 41 लाख रुपये अधिक रखी गई है।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत 17848 लाख रुपये की कमी अनुमानित है। इसके विपरीत राज्य आयोजनागत योजनाओं तथा आयोजनेतर योजनाओं के निमित्त भारत सरकार से मिलने वाली सहायता में क्रमशः 7146 लाख रुपये तथा 392 लाख रुपये की वृद्धि अनुमानित है।

मुख्यतः वाणिज्यिक उपक्रमों और अन्य संस्थाओं से प्राप्त ब्याज में वृद्धि होने के कारण ब्याज प्राप्तिियों में 2054 लाख रुपये की वृद्धि अनुमानित है। मुख्यतः आय की प्रगति के आधार पर "वानिकी और वन्य जीवन, "तागरिक पूर्ति", "लेखन सामग्री और मुद्रण" "चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य", "लघु सिंचाई" तथा "कृषि कार्य" के अन्तर्गत क्रमशः 722 लाख रुपये, 543 लाख रुपये, 104 लाख रुपये, 63 लाख रुपये, 46 लाख रुपये तथा 29 लाख रुपये की अधिक प्राप्तिियों का अनुमान है। इसके विपरीत अन्व प्रशासनिक सेवायें, शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति, वृहद और मध्यम सिंचाई, अन्य कृषि कार्यक्रम तथा सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत क्रमशः 153 लाख रुपये, 132 लाख रुपये, 96 लाख रुपये, 70 लाख रुपये तथा 59 लाख रुपये प्राप्तियां कम आंकी गई है।

पूँजी लेखे की प्राप्तियां

ऋणों से प्राप्तियां

आलोच्य वर्ष में ऋणों से प्राप्तिियों का अनुमान 3427.96 करोड़ रुपये रखा गया था जिसमें रिजर्व बैंक से प्राप्त होने वाले सम्भावित अर्थोपाय अग्रिमों की 1000 करोड़ रुपये की धनराशि भी सम्मिलित थी। दैनिक अर्थोपाय की स्थिति के अनुसार रिजर्व बैंक से समय-समय पर अर्थोपाय अग्रिम लिये जाते हैं और उनका प्रतिदान किया जाता है। आवश्यकता के आधार पर वित्तीय वर्ष 1989-90 में 500 करोड़ रुपये से अधिक अग्रिम रिजर्व बैंक से प्राप्त होने का अनुमान है। बाजार ऋण से प्राप्त होने वाले 427.00 करोड़ रुपये के मूल अनुमान के विपरीत 457.54 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त हुआ। भारतीय जीवन बीमा निगम से 10.32 करोड़ रुपये के मूल अनुमान के समक्ष इतनी ही राशि का ऋण प्राप्त होने का अनुमान है। अन्व संस्थाओं तथा प्रतिकर तथा अन्य बन्ध पत्रों से प्राप्त होने वाले ऋणों के लिये 74.25 करोड़ रुपये का मूल अनुमान रखा गया था जबकि पुनरीक्षित अनुमानों में 91.67 करोड़ रुपये का ऋण अनुमानित है। केन्द्रीय सरकार से उधार और अग्रिम के लिये 1916.44 करोड़ रुपये के मूल अनुमान की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान 1732.47 करोड़ रुपये का है। राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिये उधार के लिये 1132.11 करोड़ रुपये के मूल अनुमान के समक्ष अब पुनरीक्षित अनुमान 860.97 करोड़ रुपये का ही है। केन्द्रीय आयोजनागत तथा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिये उधार के 22.09 करोड़ रुपये के मूल अनुमान के समक्ष 22.17 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त होने का अनुमान है। अन्य आयोजना भिन्न उधार के अन्तर्गत 61.23 करोड़ रुपये के मूल अनुमान के विपरीत 42.70 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त होने का अनुमान है। इसके विपरीत अल्प बचत योजना के अन्तर्गत अल्प बचत संग्रहण के भाग के 700.00 करोड़ रुपये के मूल अनुमान के समक्ष 805.48 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होने का अनुमान है।

ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां

राज्य सरकार द्वारा दिये गये उधार एवं अग्रिमों की वसूलियों का मूल अनुमान 47.07 करोड़ रुपये था जब कि इसक लिये पुनरीक्षित अनुमानों में 80.42 करोड़ रुपये की वसूली अनुमानित है। लगभग 33.35 करोड़ रुपये की वृद्धि मुख्यतः सहकारिता, ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों, कृषि कार्य तथा सरकारी सेवकों आदि को उधार के अन्तर्गत अधिक वसूली अनुमानित होने के फलस्वरूप है।

राजस्व लेखे का व्यय--

वर्ष 1989-90 के मूल आय व्ययक में 8641.89 करोड़ ₹0 के राजस्व व्यय की व्यवस्था थी जिसमें केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं, केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं और आयोजनागत योजनाओं के लिये आयोजनागत व्यय के लिये 1993.05 करोड़ ₹0 तथा आयोजनेतर व्यय के लिये 6648.84 करोड़ ₹0 रखा गया था। पुनरीक्षित अनुमान में 7709.87 करोड़ रुपये की व्यवस्था है जिसमें आयोजनागत पक्ष के लिए 1598.52 करोड़ ₹0 और आयोजनेतर व्यय के लिये 6111.35 करोड़ ₹0 की राशियां सम्मिलित हैं।

आयोजनागत पक्ष में 394.53 करोड़ ₹0 की कमी मुख्यतः राज्य आयोजनागत योजनाओं के व्यय में कमी के फलस्वरूप है। सचिवालय सामान्य सेवायें, के अन्तर्गत वेतन पुनरीक्षण एवं मंहगाई भत्ते में वृद्धियों आदि के लिए 400 करोड़ रुपये के एक मुश्त व्यवस्था के स्थान पर पुनरीक्षित अनुमानों के अन्तर्गत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर विभिन्न अनुदानों में व्यवस्था सम्मिलित की गई है जिसके फलस्वरूप इस शीर्षक के अन्तर्गत 400 करोड़ रुपये की बचत प्रदर्शित है। मुख्यतः ग्रामीण विकास के लिये विशेष कार्यक्रम, कृषि कार्य, कमान क्षेत्र विकास, जलपूर्ति और सफाई तथा जल संरक्षण के अन्तर्गत क्रमशः 18741 लाख ₹0, 611 लाख ₹0, 283 लाख ₹0, 250 लाख ₹0 तथा 76 लाख ₹0 की कमी अनुमानित है जब कि सामान्य शिक्षा के अन्तर्गत 8147 लाख ₹0, पहाड़ी क्षेत्र के विकास के लिये 3344 लाख ₹0, परिवार कल्याण के अन्तर्गत 2673 लाख ₹0, चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत 2216 लाख ₹0, ग्रामोद्योग और लघु उद्योगों के अन्तर्गत 630 लाख ₹0, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 610 लाख ₹0, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत 509 लाख ₹0, वानिकी और वन्य जीवन के अन्तर्गत 384 लाख ₹0, उद्योगों और खनिजों पर अन्य परिव्यय के अन्तर्गत 280 लाख ₹0, कला और संस्कृति के अन्तर्गत 236 लाख ₹0, सहकारिता के अन्तर्गत 219 लाख ₹0, पशुपालन के अन्तर्गत 212 लाख ₹0, खेल और युवा कल्याण के अन्तर्गत 183 लाख ₹0, लघु सिंचाई के अन्तर्गत 171 लाख ₹0, अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान के अन्तर्गत 101 लाख ₹0 की वृद्धि परिलक्षित है। इसके अतिरिक्त सचिवालय सामाजिक सेवायें, तकनीकी शिक्षा, सचिवालय आर्थिक सेवायें, पर्यटन, डेरी विकास, विद्युत्, तथा बागान के अन्तर्गत क्रमशः 100 लाख ₹0, 93 लाख ₹0, 55 लाख ₹0, 42 लाख ₹0, 41 लाख ₹0, 32 लाख ₹0 तथा 27 लाख ₹0 की वृद्धि अनुमानित है।

आयोजनेतर पक्ष में कुल 537.49 करोड़ ₹0 की कमी परिलक्षित है। इस पक्ष में भी मुख्यतः सरकारी तथा अन्य कर्मचारियों को स्वीकृत किये जाने वाले मंहगाई भत्ते तथा वेतन पुनरीक्षित के लिये किये गये 16,00 करोड़ रुपये एक मुश्त प्राविधान की राशि को संबंधित कार्यात्मक शीर्षकों से बहन किये जाने के फलस्वरूप सचिवालय सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत 159471 लाख ₹0 की कमी प्रदर्शित है। व्याज सदाय सामाजिक सुरक्षा और कल्याण तथा लोक निर्माण के अन्तर्गत क्रमशः 3520, लाख ₹0, 242 लाख ₹0, 46 लाख ₹0 की कमी होने की सम्भावना है। इसके विपरीत मैदानों, पर्वतीय जनपदों में ग्रामीण एवं नगर क्षेत्रों में स्थित बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ते तथा वेतन पुनरीक्षण आदि के भुगतान के लिये अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था कराये जाने के कारण सामान्य शिक्षा के अन्तर्गत 55839 लाख ₹0 की वृद्धि अनुमानित है। मुख्यतः चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य परिवार, पुलिस, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सड़कें और पुल, कृषि कार्य, अन्य प्रशासनिक सेवायें, निर्वाचन, लघु सिंचाई के अन्तर्गत क्रमशः 12846 लाख ₹0, 6666 लाख ₹0, 5768 लाख ₹0, 4206 लाख ₹0, 2343 लाख ₹0, 2007 लाख ₹0, 1956 लाख ₹0 तथा 1898 लाख ₹0 की वृद्धि परिलक्षित है। इसके अतिरिक्त मुख्यतः आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त धनराशि के उपलब्ध कराये जाने की सम्भावना के कारण वृहद और मध्यम सिंचाई, पेंशन और सेवा निवृत्ति लाभ, विविध सामान्य सेवायें, राज कोष और लेखा प्रशासन, वानिकी और वन्य जीवन, तकनीकी शिक्षा, स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन, दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत, विक्रीकर, लेखन सामग्री और मुद्रण, श्रम और रोजगार, भू-राजस्व, न्याय प्रशासन, बाढ़ नियंत्रण, मंत्रि परिषद्, खाद्य भण्डारण और भण्डागारण, कृषि अनुसंधान और शिक्षा, सूचना और प्रचार, ऋणों में कमी अथवा उससे उधार के लिये विनियोग, उद्योग, स्टाम्प और पंजीकरण, जिला प्रशासन, आवास, सहकारिता, उद्योगों और खनिजों पर अन्य परिव्यय तथा संसद/राज्य/संघ क्षेत्र विधान मण्डल के अन्तर्गत क्रमशः 1726 लाख ₹0, 1678 लाख ₹0, 1151 लाख ₹0, 1078 लाख ₹0, 916 लाख ₹0, 816 लाख ₹0, 800 लाख ₹0, 785 लाख ₹0, 749 लाख ₹0, 622 लाख ₹0, 552 लाख ₹0, 503 लाख ₹0, 482 लाख ₹0, 458 लाख ₹0, 432 लाख ₹0, 343 लाख ₹0, 237 लाख ₹0, 225 लाख ₹0, 216 लाख ₹0, 180 लाख ₹0, 178 लाख ₹0, 158 लाख ₹0, 158 लाख ₹0, 154 लाख ₹0, 120 लाख ₹0 तथा 113 लाख ₹0, की वृद्धि की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त वास्तविक आवश्यकता के आधार पर कला और संस्कृति, वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क, नागरिक वृत्ति, ग्रामोद्योग और लघु उद्योग, खेल और युवा कल्याण, भू और जल संरक्षण, राज्य उत्पाद शुल्क, अन्य कृषि कार्यक्रम, सचिवालय आर्थिक सेवायें, पशुपालन, जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी तथा डेरी विकास के अन्तर्गत क्रमशः 110 लाख ₹0, 109 लाख ₹0, 96 लाख ₹0, 96 लाख ₹0, 92 लाख ₹0, 82 लाख ₹0, 70 लाख ₹0, 70 लाख ₹0, 68 लाख ₹0, 63 लाख ₹0, 60 लाख ₹0 व 50 लाख ₹0 की वृद्धि परिलक्षित है।

पूँजी लेख का व्यय—

पूँजीगत व्यय—

1989-90 के मूल आय व्ययक में पूँजी व्यय के लिये 780.99 करोड़ रु 0 की व्यवस्था थी जिसमें केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं, केन्द्र द्वारा पुरोनिर्वाहित योजनाओं, राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिये आयोजनागत पक्ष में 837.95 करोड़ रु 0 तथा आयोजनेतर पक्ष में उन वसूलियों के लिये जिन्हें व्यय से घटा दिया गया है, 56.96 करोड़ रु 0 की व्यवस्था थी, पुनरीक्षित अनुमान 974.13 करोड़ रु 0 है जो मूल अनुमान की तुलना में 193.14 करोड़ रु 0 अधिक है। पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार आयोजनागत पक्ष में 952.11 करोड़ रु 0 तथा आयोजनेतर पक्ष में 22.02 करोड़ रु 0 का व्यय अनुमानित है। आयोजनागत पक्ष में कुल 114.16 करोड़ रु 0 की वृद्धि परिलक्षित है। मुख्यतः लघु सिंचाई पर पूँजी परिव्यय 4679 लाख रु 0, पहाड़ी क्षेत्रों पर पूँजी परिव्यय 2761 लाख रु 0, आवास पर पूँजी परिव्यय 1342 लाख रु 0, शिक्षा खेप और कला और संस्कृति पर पूँजी परिव्यय 1275 लाख रु 0 तथा सहकारिता पर पूँजी परिव्यय 1017 लाख रु 0 अधिक रहा। इसके अतिरिक्त मुख्यतः विभिन्न योजनाओं के विस्तार एवं अतिरिक्त धनराशि की मांग के लिये अधिक धन व्यवस्था कराए जाने के कारण सरकारी निर्माण कार्यों पर पूँजी परिव्यय 823 लाख रु 0, उद्योगों और खनिजों पर अन्य पूँजी परिव्यय 480 लाख रु 0, दूर संचार और इलेक्ट्रॉनिकी उद्योगों पर पूँजी परिव्यय 400 लाख रु 0, चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूँजी परिव्यय 394 लाख रु 0, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजी परिव्यय 374 लाख रु 0, विद्युत परियोजनाओं पर पूँजी परिव्यय 350 लाख रु 0 अधिक परिलक्षित है। इसी प्रकार सीमेंट और धातु भिन्न खनिज उद्योगों पर पूँजी परिव्यय, ग्रामीण उद्योगों और लघु उद्योगों का पूँजी परिव्यय, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजी परिव्यय, वानिकी और अन्य जीवन पर पूँजी परिव्यय, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजी परिव्यय, वृहद एवं मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय, कृषि कार्य पर पूँजी परिव्यय, सूचना और प्रचार पर पूँजी परिव्यय, पर्यटन पर पूँजी परिव्यय तथा खाद्य भंडारण और भंडारण पर पूँजी परिव्यय, क्रमशः 300 लाख रु 0, 175 लाख रु 0, 151 लाख रु 0, 150 लाख रु 0, 100 लाख रु 0, 100 लाख रु 0, 80 लाख रु 0, 73 लाख रु 0, 68 लाख रु 0 तथा 58 लाख रु 0 अधिक परिलक्षित है। इसके विपरीत उपभोक्ता उद्योगों पर पूँजी परिव्यय 2965 लाख रु 0, सिङ्को और प्लों पर पूँजी परिव्यय 459 लाख रु 0 तथा अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजी परिव्यय में 347 लाख रु 0 कम परिलक्षित है।

आयोजनेतर पक्ष में कुल 7898 लाख रु 0 की वृद्धि परिलक्षित है। मुख्यतः उपभोक्ता उद्योगों पर पूँजी परिव्यय में 4150 लाख रु 0 खाद्य भंडारण और भंडारण पर पूँजी परिव्यय 2914 लाख रु 0 सरकारी निर्माण कार्यों पर पूँजी परिव्यय 452 लाख रु 0 अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजी परिव्यय 260 लाख रु 0 तथा वानिकी और अन्य जीवन पर पूँजी परिव्यय में 98 लाख रु 0 की वृद्धि अनुमानित है।

ऋणों का प्रतिदान

वित्त वर्ष 1989-90 में वाजार ऋणों के प्रतिदान के लिये आय-व्ययक अनुमान 44.57 करोड़ रुपये रखा गया था जबकि उपव्यय संकेतों के आधार पर पुनरीक्षित अनुमान 41.83 करोड़ रुपये रखा गया है। कैश क्रेडिट की सुविधा के समक्ष स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया को प्रतिदान के लिये मूल आय-व्ययक में व्यवस्थित 41.25 करोड़ रुपये के अनुमान के समक्ष 51.25 करोड़ रुपये का प्रतिदान होने की सम्भावना है। अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋणों एवं प्रतिफल तथा अन्य बन्ध पत्रों के प्रतिदान के लिये 18.92 करोड़ रुपये के आय-व्ययक अनुमानों के समक्ष पुनरीक्षित अनुमान 19.41 करोड़ रुपये रखा गया है। भारत के रिजर्व बैंक के प्रशासनिक अभियंके अन्तर्गत मात्र समायोजन प्रकृति के प्रतिदान के लिये 1000.00 करोड़ रुपये के मूल अनुमानों के उचित पुनरीक्षित अनुमानों में 500 करोड़ रुपये से अधिक प्रतिदान अनुमानित है। केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ऋणों के प्रतिदान के लिये 172.93 करोड़ रुपये के मूल आय-व्ययक अनुमानों की तुलना में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर पुनरीक्षित अनुमानों में 431.85 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

उधार और अग्रिम

ऋणों और अग्रिमों के लिये मूल आय-व्ययक में 505.74 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी जिसमें 430.81 करोड़ रुपये की वारंशिक आयोजनागत योजनाओं तथा 74.93 करोड़ रुपये आयोजनेतर मदों के अन्तर्गत ऋणों में संवितरण के लिये निर्धारित थी। पुनरीक्षित अनुमानों में विभिन्न आयोजनागत योजनाओं के अन्तगत ऋणों के संवितरण हेतु 554.46 करोड़ रुपये की वारंशिक राशि रखी गयी है जिसमें विद्युत परियोजनाओं के लिये ऋण हेतु 408.31 करोड़ रुपये की धनराशि सम्मिलित है जो इस हेतु मूल अनुमानों 323.50 करोड़ रुपये की तुलना में 84.81 करोड़ रुपये की धनराशि अधिक है। आयोजनेतर पक्ष में ऋणों और अग्रिमों के संवितरण के 74.93 करोड़ रुपये के मूल अनुमानों के समक्ष पुनरीक्षित अनुमान 67.38 करोड़ रुपये के अनुमान के अन्तर्गत उधार के अन्तर्गत ऋण की व्यवस्था के कारण है।

अ कस्मिकता निधि (शुद्ध)

मूल अनुमानों में यह कस्मिकता की गई थी कि वर्ष के दौरान विगत वर्ष में अकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिमों की जितनी धनराशि की प्रतिपूर्ति हो सकेगी उतनी ही धनराशि के अग्रिम वर्ष के अन्त में प्रतिपूर्ति हेतु शेष रह जायेंगे। अतः निधि की शुद्ध प्रतिपूर्ति होगी परन्तु पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार आलोच्य वर्ष में गत वर्षों के अग्रिमों के 72.13 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति परिलक्षित है। आय-व्ययक अनुमानों के अनुसार इस वर्ष के अन्त में 50.00 करोड़ रुपये के अग्रिमों की प्रतिपूर्ति के अवशेष होने का अनुमान लगाया गया था। पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार वर्ष के अन्त में 75 करोड़ रुपये के अग्रिमों की प्रतिपूर्ति शेष रह जाने की सम्भावना है।

इसके अतिरिक्त निधि के कारपस में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पहले 300.00 करोड़ रुपये की अस्थायी वृद्धि की गयी थी जिसे समाप्त करके 200 करोड़ रुपये की स्थायी वृद्धि की गई इसके कारण समेकित निधि से इस निधि को वर्ष के दौरान कुल 500 करोड़ रुपये की राशि संक्रमित की गयी जिसमें से समेकित निधि को 300 करोड़ रुपये की राशि इसी वर्ष प्रत्यावर्तित कर दी गयी। निधि के समक्ष तदनुसार प्राप्ति एवं संवितरण प्रदर्शित है।

लोक खात (शुद्ध)---

लोक खाता के अन्तर्गत 1813.53 करोड़ रुपये की शुद्ध प्राप्ति के मूल अनुमानों की तुलना में पुनरीक्षित अनुमानों में 908.38 करोड़ रुपये की शुद्ध प्राप्ति अनुमानित है। पुनरीक्षित अनुमानों में शुद्ध प्राप्ति 905.15 करोड़ रुपये की कमी विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत संभावित न्यूनाधिकताओं के शुद्ध परिणामस्वरूप अनुमानित है। कमियां मुख्यतः राज्य भविष्य निधियों, स्थानीय निधियों की जमा तथा उच्चत खाता के अन्तर्गत अनुमानित है। राज्य भविष्य निधियां तथा स्थानीय निधियों की जमा जिसके अन्तर्गत सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को भविष्य निधियों की राशि जमा होती है के अन्तर्गत प्रदर्शित कमी मुख्यतः वेतन पुनरीक्षण आदि से सम्बन्धित वकियों के आहरण में कमी के कारण भविष्य निधियों में कम राशि जमा होना रहा है।

समस्त लेन-देनों का शुद्ध परिणाम ---

मूल आय-व्यय अनुमानों के अनुसार वर्ष के समस्त लेन-देनों का शुद्ध परिणाम (-) 57.78 करोड़ रुपये अनुमानित था। पुनरीक्षित अनुमानों के आधार पर अनुमान लगाया गया है कि वर्ष के समस्त लेन-देनों का शुद्ध परिणाम (-) 243.76 करोड़ रुपये रहेगा और तदनुसार वर्ष का (+) 116.33 करोड़ रुपये का वास्तविक प्रारम्भिक शेष वर्ष के अन्त में (-) 127.43 करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान है।

प्राय-व्ययक 1990-91

निम्नलिखित विवरण-पत्र में स्थिति का सारांश दिया गया है :—

(करोड़ रुपये में)

	मूल प्राय-व्ययक अनुमान 1989-90	पुनरीक्षित अनुमान 1989-90	प्राय-व्ययक अनुमान 1990-91
प्रारम्भिक शेष	(-) 99.25	(+) 116.33*	(-) 127.43
1—समेकित निधि—			
प्राप्तियां—			
राजस्व लेखे की प्राप्तियां	6160.00	6329.54	6262.42
पूंजी लेखे की प्राप्तियां—			
ऋणों से प्राप्तियां	3427.96	2791.95	3075.06
ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां	47.07	80.42	88.99
आकस्मिकता निधि से अन्तरण	300.00	..
योग, पूंजी लेखे की प्राप्तियां	3475.03	3172.37	3164.05
योग, प्राप्तियां	9635.03	9501.91	9426.47
व्यय—			
राजस्व लेखे का व्यय	8641.89	7709.87	6930.72
पूंजी लेखे का व्यय—			
पूंजीगत परिव्यय	780.99	974.13	724.72
ऋणों का प्रतिदान	1577.72	1044.34	1526.34
ऋण और अग्रिम	505.74	622.84	908.99
आकस्मिकता निधि में विनियोग	500.00	..
योग, पूंजी लेखे का व्यय	2864.45	3141.31	3160.05
योग, व्यय	11506.34	10851.18	10090.77
समेकित निधि में घाटा (-) / बचत (+)	(-) 1871.31	(-) 1349.27	(-) 664.30
2—आकस्मिकता निधि (शुद्ध)	(+) 197.13	..
3—लोक खाता (शुद्ध)	(+) 1813.53	(+) 908.38	(+) 640.63
समस्त लेन-देनों का शुद्ध परिणाम	(-) 57.78	(-) 243.76	(-) 23.67
अंतिम शेष	(-) 157.03	(-) 127.43	(-) 151.10

*भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार

राजस्व लेखे की प्राप्तियां

वर्ष 1989-90 के पुनरीक्षित अनुमानों की तुलना में बजट वर्ष में 6712 लाख रुपये की कमी निम्नलिखित न्यूनाधिकताओं के फलस्वरूप है:—

(लाख रुपये में)

	पुनरीक्षित अनुमान 1989-90	आय-व्ययक अनुमान 1990-91	न्यूनाधिकतायें वृद्धि (+) कमी (-)
1—केन्द्रीय करों में राज्य का अंश (अतिरिक्त संघीय उत्पादन शुल्क मिलाकर)]	21,64,56	21,64,56
2—राज्य सरकार का कर (जिसमें भू-राजस्व सम्मिलित है किन्तु अतिरिक्त संघीय उत्पादन शुल्क सम्मिलित नहीं है) ।	22,96,06	25,14,66] (+) 2,18,60
3—केन्द्रीय सरकार के सहायक अनुदान और प्राप्तियां	10,92,23	7,81,87 (-) 3,10,36
4—अन्य प्राप्तियां	7,76,69	8,01,33 (+) 24,64
योग	63,29,54	62,62,42 (-) 67,12

भारत सरकार से प्राप्त संकेतों के अनुसार सम्प्रति वर्ष 1990-91 के लिये आधारीक और अतिरिक्त उत्पादन शुल्क तथा आयकर के विभाजन समुच्चय में इस राज्य का अंश इस वर्ष के पुनरीक्षित अनुमानों के समतुल्य ही रखा गया है।

मुख्यतः करापवंचन की रोकथाम तथा आय की गतिविधियों के आधार पर विक्रीकर तथा राज्य उत्पादन शुल्क के अधीन प्राप्तियां क्रमशः 13343 लाख रुपये तथा 3540 लाख रुपये अधिक अनुमानित हैं। मुख्यतः आय की वास्तविक गतिविधि के आधार पर स्टाम्प और पंजीकरण के अधीन प्राप्तियां में 2815 लाख रुपये की वृद्धि सम्भावित है। वाहनों तथा यात्रियों की संख्या में वृद्धि की सम्भावना को देखते हुए माल और यात्रियों पर कर तथा वाहनों पर कर के अधीन प्राप्तियां क्रमशः 913 लाख रुपये तथा 590 लाख रुपये अधिक रखी गई है, वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क, बिजली पर कर और शुल्क के अधीन प्राप्तियां 357 लाख रुपये, तथा 303 लाख रुपये अधिक सम्भावित हैं।

केन्द्र से प्राप्त संकेतों के अनुसार व्यय के लिये किये गये प्राविधानों के आधार पर केन्द्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं, आयोजनेतर योजनाओं, राज्य आयोजनागत योजनाओं तथा केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के निमित्त प्राप्त होने वाले सहायक अनुदानों के अनुमान क्रमशः 14121 लाख रुपये, 10026 लाख रुपये, 4655 लाख रुपये तथा 2234 लाख रुपये कम रखे गये हैं।

मुख्यतः उत्तर प्रदेश राज्य लाटरी की प्राप्तिओं में वृद्धि होने की सम्भावनाओं को देखते हुए विविध सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत प्राप्तियां 1275 लाख रुपये अधिक होने का अनुमान है। मुख्यतः अन्य सरकारों को दी गई पुलिस सहायता के सम्बन्ध में अधिक अंशदान तथा अधिक भुगतानों की वस्तुओं से पुलिस के अन्तर्गत प्राप्तियां 603 लाख रुपये अधिक होने का अनुमान है। इसी प्रकार मुख्यतः आय की वास्तविक गतिविधियों के आधार पर अन्य प्रशासनिक सेवायें, वृहद एवं मध्यम सिंचाई, शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति, वानिकी और वन्य जीवन, पर्यटन, कृषि कार्य, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण तथा लघु सिंचाई के अन्तर्गत क्रमशः 594 लाख रुपये, 400 लाख रुपये, 279 लाख रुपये, 219 लाख रुपये, 100 लाख रुपये, 98 लाख रुपये, 52 लाख रुपये तथा 50 लाख रुपये अधिक प्राप्तियां आंकी गई है। इसके विपरीत नागरिक पूर्ति, व्याज प्राप्तियां, लेखन सामग्री और मुद्रण तथा चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत क्रमशः 488 लाख रुपये, 400 लाख रुपये, 254 लाख रुपये तथा 97 लाख रुपये प्राप्तियां कम होने का अनुमान है।

पूंजी लेखे की प्राप्तियां—

ऋणों से प्राप्तियां—

राज्य सरकार द्वारा लिये जाने वाले ऋणों के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 1989-90 के 2791.95 करोड़ रुपये के पुनरीक्षित अनुमान के समक्ष बजट वर्ष में 3075.03 करोड़ रुपये की प्राप्ति अनुमानित है जिसमें भारत के रिजर्व बैंक से समय-समय पर लिये जाने वाले अर्थोपाय अधिमों के लिए 1000.00 करोड़ रुपये की धारणा सम्मिलित है। इन निकालने के बाद बजट वर्ष की ऋणों से प्राप्तियां 2075.06 करोड़ रुपये अनुमानित हैं जो वर्ष 1989-90 के तत्सम्बन्धी पुनरीक्षित अनुमानों से 216.89 करोड़ रुपये कम है। बजट वर्ष में वित्तीय वर्ष 1989-90 के पुनरीक्षित अनुमानों की अपेक्षा असा बचत संग्रहण के हिस्से के रूप में 35.43 करोड़ रुपये तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनागत योजनाओं के लिये उधार के अन्तर्गत 128.33 करोड़ रुपये का कम ऋण प्राप्त होने का अनुमान है।

बजट वर्ष में जारी किये जाने वाले वारंजर ऋण से 415.20 करोड़ रुपये की प्राप्ति का अनुमान है। भारत के जीवन बीमा निगम तथा राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से प्राप्त होने वाले उधार का अनुमान क्रमशः 10.56 करोड़ रुपये तथा 4.60 करोड़ रुपये है। खाद्य ऋणों के व्यापार के लिये कैब-क्रेडिट की सुविधा के अन्तर्गत स्टेट बैंक आफ इण्डिया से प्राप्त होने वाले उधार का अनुमान 50.00 करोड़ रुपये रखा गया है। अन्य संस्थाओं से तथा प्रतिभूत तथा अन्य बन्धन-पत्रों से 27.23 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त होने का अनुमान है।

केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाले उधार और अग्रिमों का अनुमान 1567.47 करोड़ रुपये लगाया गया है जिसमें अल्प बचतों की उगाही के अंश के रूप में 770.00 करोड़ रुपये, अन्य आयोजना-भिन्न उधार के लिये 64.75 करोड़ रुपये, राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिये 732.64 करोड़ रुपये तथा केन्द्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिये 0.08 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त होने का अनुमान है।

बजट वर्ष में राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों और अग्रिमों की वसूलियों का अनुमान 88.99 करोड़ रुपये रखा गया है जो वर्ष 1989-90 के 80.42 करोड़ रुपये के पुनरीक्षित अनुमानों से 8.57 करोड़ रुपये अधिक है। गत वर्ष की तुलना में वृद्धि मुख्यतः कृषि कार्य तथा सरकारी सेवकों आदि को उधार में वृद्धि के फलस्वरूप है।

राजस्व लेखे का व्यय

वर्ष 1989-90 के मूल आय-व्ययक में 8641.89 करोड़ रुपये के राजस्व व्यय की व्यवस्था थी, जिसमें केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं, केन्द्र द्वारा पुरोनिर्धारित योजनाओं और राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिये आयोजनागत पक्ष में 1993.05 करोड़ रुपये तथा आयोजनेतर पक्ष में 6648.84 करोड़ रुपये रखा गया था। बजट वर्ष का अनुमान 6930.72 करोड़ रुपये है जिसमें आयोजनागत व्यय 790.21 करोड़ रुपये तथा आयोजनेतर व्यय 6140.51 करोड़ रुपये है। आयोजनागत पक्ष में 1202.84 करोड़ रुपये की कमी अनुमानित है। मुख्यतः सरकारी तथा अन्य कर्मचारियों को स्वीकृत किये जाने वाले महंगाई भत्ते तथा वेतन पुनरीक्षण आदि के लिये फिलहाल कोई एक मुश्त व्यवस्था सम्मिलित न किये जाने के कारण सचिवालय सामान्य सेवाओं आदि के लिये 40008 लाख रुपये की कमी परिलक्षित है। मुख्यतः ग्रामीण रोजगार के अन्तर्गत 20678 लाख रुपये, सामान्य शिक्षा के अन्तर्गत 15640 लाख रुपये, ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत 7670 लाख रुपये, पहाड़ी क्षेत्र के अन्तर्गत 7558 लाख रुपये की कमी आवश्यकता के अन्तरिम अनुमानों के आधार पर अनुमानित है। इसी प्रकार वास्तविक आवश्यकता के अन्तरिम अनुमानों के आधार पर सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत 6076 लाख रुपये, चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत 4541 लाख रुपये, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण के अन्तर्गत 4235 लाख रुपये, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 2977 लाख रुपये, कमान क्षेत्र विकास के अन्तर्गत 1972 लाख रुपये, कृषि कार्य के अन्तर्गत 1873 लाख रुपये, ग्रामोद्योग और लघु उद्योग के अन्तर्गत 1233 लाख रुपये, पशुपालन के अन्तर्गत 959 लाख रुपये, तकनीकी शिक्षा के अन्तर्गत 867 लाख रुपये, श्रम और रोजगार के अन्तर्गत 670 लाख रुपये, खेल और युवा कल्याण के अन्तर्गत 651 लाख रुपये, भू और जल संरक्षण के अन्तर्गत 626 लाख रुपये, सचिवालय आर्थिक सेवायें के अन्तर्गत 476 लाख रुपये, जलपूर्ति और सफाई के अन्तर्गत 443 लाख रुपये, सहकारिता के अन्तर्गत 333 लाख रुपये, अन्य राजकोष सेवायें के अन्तर्गत 318 लाख रुपये, अन्य प्रशासनिक सेवायें के अन्तर्गत 233 लाख रुपये, कृषि अनुसंधान और शिक्षा के अन्तर्गत 227 लाख रुपये, लघु सिंचाई के अन्तर्गत 192 लाख रुपये, सूचना और प्रचार के अन्तर्गत 177 लाख रुपये, अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान के अन्तर्गत 170 लाख रुपये, कला और संस्कृति के अन्तर्गत 158 लाख रुपये, डेरी विकास के अन्तर्गत 158 लाख रुपये, मीन उद्योग के अन्तर्गत 125 लाख रुपये, लेखन सामग्री और मुद्रण के अन्तर्गत 119 लाख रुपये, उद्योग के अन्तर्गत 63 लाख रुपये, अलौह धातु खनन और धातु कर्म उद्योग के अन्तर्गत 57 लाख रुपये, वाहनों पर कर के अन्तर्गत 55 लाख रुपये, अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें के अन्तर्गत 50 लाख रुपये तथा पर्यटन के अन्तर्गत 37 लाख रुपये की कमी परिलक्षित है। इसके विपरीत आवश्यकता के अन्तरिम अनुमानों के आधार पर ही वानिकी और वन्य जीवन के अन्तर्गत 596 लाख रुपये, भू-राजस्व के अन्तर्गत 337 लाख रुपये, सड़कें और पुल के अन्तर्गत 306 लाख रुपये, परिवार कल्याण के अन्तर्गत 115 लाख रुपये तथा शहरी विकास के अन्तर्गत 96 लाख रुपये की अधिक व्यवस्था की गई है।

आयोजनेतर पक्ष में कुल 508.33 करोड़ रुपये की कमी अनुमानित है। सरकारी तथा अन्य कर्मचारियों के लिये स्वीकृत किये जाने वाले महंगाई भत्ते तथा वेतन पुनरीक्षण आदि के लिये फिलहाल कोई एक मुश्त व्यवस्था न सम्मिलित किये जाने के कारण सचिवालय सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत 159462 लाख रु का कम व्यय अनुमानित है। अन्तरिम अनुमानों के आधार पर फिलहाल दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत के अन्तर्गत 1862 लाख रुपये, सड़कें और पुल के अन्तर्गत 1049 लाख रुपये, बित्री कर के अन्तर्गत 186 लाख रुपये, लोक निर्माण के अन्तर्गत 94 लाख रुपये की कम व्यवस्था की गई है। इसके विपरीत सामान्य शिक्षा के अन्तर्गत 30083 लाख रुपये, ब्याज संदाय के अन्तर्गत 21137 लाख रुपये, चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य कल्याण के अन्तर्गत 10254 लाख रुपये, पुलिस के अन्तर्गत 7046 लाख रुपये, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत 4650 लाख रुपये, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 4485 लाख रुपये, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण के अन्तर्गत 4260 लाख रुपये, वृहद और मध्यम सिंचाई के अन्तर्गत 4083 लाख रुपये, पेंशन और सेवा निवृत्ति लाभ के अन्तर्गत 3183 लाख रुपये, लघु सिंचाई के अन्तर्गत 2838 लाख रुपये, ऋणों में कमी अथवा उससे बचाव के लिये विनियोग के अन्तर्गत 2624 लाख रुपये, भू-राजस्व के अन्तर्गत 1541 लाख रुपये, विविध सामान्य सेवायें के अन्तर्गत 1263 लाख रुपये, कृषि अनुसंधान और शिक्षा के अन्तर्गत 1242 लाख रुपये, अन्य प्रशासनिक सेवायें के अन्तर्गत 1109 लाख रुपये, पशुपालन के अन्तर्गत 1097 लाख रुपये, न्याय प्रशासन के अन्तर्गत 1031 लाख रुपये वानिकी और वन्य जीवन के अन्तर्गत 1020 लाख रुपये अधिक की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार आवश्यकता के आधार पर अधिक धनराशि की व्यवस्था कराये जाने के कारण कृषि कार्य के अन्तर्गत 814 लाख रुपये, तकनीकी शिक्षा के अन्तर्गत 789 लाख रुपये, बाढ़ नियन्त्रण के अन्तर्गत 734 लाख रुपये, जिला प्रशासन के अन्तर्गत 635 लाख रुपये, श्रम और रोजगार के अन्तर्गत 533 लाख रुपये सचिवालय आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत 533 लाख रुपये, स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन के अन्तर्गत 515 लाख रुपये, ग्रामोद्योग और लघु उद्योग के अन्तर्गत 403 लाख रुपये, राजकोष और लेखा प्रशासन के अन्तर्गत 378 लाख रुपये, खेल और युवा कल्याण के अन्तर्गत 342 लाख रुपये, लेखन सामग्री और मुद्रण के अन्तर्गत 303 लाख रुपये, सहकारिता के अन्तर्गत 249 लाख रुपये, निर्वाचन के अन्तर्गत 232 लाख रुपये, भू और जल संरक्षण के अन्तर्गत 204 लाख रुपये, बागान के अन्तर्गत 191 लाख रुपये, अन्य राजकोषीय सेवाओं के अन्तर्गत 158 लाख रुपये तथा ग्रामोद्योग और लघु उद्योग के अन्तर्गत 158 लाख रुपये की वृद्धि अनुमानित है। इसी प्रकार आवश्यकता के अन्तरिम अनुमानों के आधार पर कला और संस्कृति, अलौह धातु खनन और धातु कर्म उद्योग,

राज्य उत्पाद शुल्क, स्टाम्प और पंजीकरण, जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकीय, संसद राज्य संच राज्य क्षेत्र विधान मण्डल, सचिवालय सामाजिक सेवायें, खाद्य भण्डारण और भण्डागारण, शहरी विकास, अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें, लोक सेवा आयोग, पर्यटन, अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, सूचना और प्रचार, नागरिक पूर्ति, मीन उद्योग, वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क, अन्य कृषि कार्यक्रम, डेरी विकास के अन्तर्गत क्रमशः 157 लाख रुपये, 146 लाख रुपये, 136 लाख रुपये, 127 लाख रुपये, 126 लाख रुपये 119 लाख रुपये, 109 लाख रुपये, 90 लाख रुपये, 87 लाख रुपये, 84 लाख रुपये, 82 लाख रुपये, 67 लाख रुपये, 66 लाख रुपये, 57 लाख रुपये, 50 लाख रुपये, 46 लाख रुपये, 42 लाख रुपये, 38 लाख रुपये तथा 35 लाख रुपये के अधिक धनराशि की व्यवस्था की गई है।

पूँजी लेखे का व्यय—

पूँजीगत परिव्यय—

वर्ष 1989-90 के आय-व्यय अनुमानों में पूँजीगत परिव्यय के लिये 780.99 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी जिसमें से राज्य आयोजनागत योजनाओं, केन्द्र आयोजनागत योजनाओं तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं के लिये 837.95 करोड़ रु और आयोजनेतर पक्ष में उन वस्तुओं के लिये जिन्हें व्यय से घटा दिया गया है, 56.96 करोड़ रु की व्यवस्था की गई थी। वज्र वर्ष में पूँजीगत परिव्यय के लिये 724.72 करोड़ रु की व्यवस्था की गई है जिसमें, आयोजनागत पक्ष में 721.67 करोड़ रु तथा आयोजनेतर पक्ष में 3.05 करोड़ रु की व्यवस्था है।

आयोजनागत व्यय में 116.28 करोड़ रु कमी अनुमानित है। आवश्यकता के अन्तरिम अनुमानों के आधार पर उपभोक्ता उद्योगों पर पूँजी परिव्यय 6940 लाख रु कम रखा गया है। सरकारी निर्माण कार्यों पर पूँजी परिव्यय 3658 लाख रु, लघु सिंचाई पर पूँजी परिव्यय 1786 लाख रु, सड़क परिवहन पर पूँजी परिव्यय 1500 लाख रु, पहाड़ी क्षेत्रों पर पूँजी परिव्यय 1130 लाख रु, कम अनुमानित है। इसी प्रकार आवश्यकता के अन्तरिम अनुमानों के आधार पर ही अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजी परिव्यय, कृषि कार्य पर पूँजी परिव्यय, अलौह धातु खनन और धातु कर्म उद्योगों पर पूँजी परिव्यय, सहकारिता पर पूँजी परिव्यय, शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजी परिव्यय, पर्यटन पर पूँजी परिव्यय, चिकित्साओं और लोक स्वास्थ्य पर पूँजी परिव्यय, पशुपालन पर पूँजी परिव्यय, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजी परिव्यय, ग्रामोद्योग और लघु उद्योगों पर पूँजी परिव्यय, आवास पर पूँजी परिव्यय, परिवार कल्याण पर पूँजी परिव्यय, डेरी विकास पर पूँजी परिव्यय, खाद्य, भण्डारण और भण्डागारण पर पूँजी परिव्यय, सीमेंट और धातुमिश्र खनिज उद्योगों पर पूँजी परिव्यय तथा कृषि अनुसंधान और शिक्षा पर पूँजी परिव्यय क्रमशः 773 लाख रु, 334 लाख रु, 260 लाख रु, 251 लाख रु, 218 लाख रु, 177 लाख रु, 125 लाख रु, 125 लाख रु, 124 लाख रु, 119 लाख रु, 114 लाख रु, 106 लाख रु, 85 लाख रु, 61 लाख रु, 60 लाख रु तथा 59 लाख रु कम अनुमानित है। इसके विपरीत मुद्रातः सड़कों और पुलों पर पूँजी परिव्यय 2310 लाख रु, वृहद एवं मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय 1700 लाख रु, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजी परिव्यय 1679 लाख रु, दूर संचार और इलेक्ट्रानिकी उद्योगों पर पूँजी परिव्यय 300 लाख रु, उद्योगों और खनिजों पर अन्य पूँजी परिव्यय 250 लाख रु तथा विद्युत परियोजनाओं पर पूँजी परिव्यय 185 लाख रु अधिक अनुमानित है।

आयोजनेतर पक्ष में 60.01 करोड़ रु की वृद्धि अनुमानित है। उपभोक्ता उद्योगों पर पूँजी परिव्यय 6750 लाख रु अधिक अनुमानित है इसके विपरीत मुद्रातः खाद्य भण्डारण और भण्डागारण पर पूँजी परिव्यय 719 लाख रु तथा सरकारी निर्माण कार्यों पर पूँजी परिव्यय 17 लाख रु कम अनुमानित है।

ऋणों का प्रतिदान—

राज्य सरकार द्वारा लिये गये ऋणों के प्रतिदान के लिये आय-व्यय वर्ष में 1526.34 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है जिसमें भारत के रिजर्व बैंक से लिये जाने वाले अर्थोपार्थ अग्रिमों के प्रतिदान के लिये 1000.00 करोड़ रुपये की धनराशि भी सम्मिलित है। भारत के जीवन बीमा निगम तथा राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक से प्राप्त ऋणों के प्रतिदान के लिये आय-व्यय वर्ष में क्रमशः 4.94 तथा 3.00 करोड़ रुपये की व्यवस्था सम्मिलित की गई है। खाद्यान्नों के व्यापार के लिये स्टेट बैंक आफ इण्डिया से कैश-क्रेडिट की सुविधा के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले ऋणों के प्रतिदान के लिये 55.56 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। अन्य संस्थाओं तथा प्रतिकर तथा अन्य बन्ध-पत्रों आदि के भुगतान हेतु 14.33 करोड़ रुपये का प्राविधान सम्मिलित किया गया है। वज्र वर्ष में राज्य सरकार का कोई बाजार ऋण परिपक्व नहीं हो रहा है, अतः पूर्व में परिपक्व हुए बाजार ऋणों की अवशेष राशियों के समक्ष केवल 3.70 करोड़ रु की व्यवस्था सम्मिलित की गयी है।

केन्द्रीय सरकार से विभिन्न योजनाओं के लिए प्राप्त ऋणों के लिये निर्धारित शर्तों के अधीन प्रतिदान हेतु 444.81 करोड़ रुपये का प्राविधान सम्मिलित किया गया है जिसमें आयोजना भिन्न उधार के प्रतिदान के लिये 74.76 करोड़ रुपये, राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिये उधार हेतु 220.94 करोड़ रुपये केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं और केन्द्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिए उधार के समय क्रमशः 1.91 तथा 4.74 करोड़ रुपये एवं 1984-85 से पहले के उधार के लिये 142.46 करोड़ रुपये का प्राविधान सम्मिलित है।

ऋण और अग्रिम—

वज्र वर्ष में राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले उधार और अग्रिमों के लिये कुल निःशुल्क 819.99 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है जिसमें आयोजनागत योजनाओं के अन्तर्गत दिये जाने वाले उधार और अग्रिमों के लिये 836.90 करोड़ रुपये और आयोजनेतर योजनाओं के लिये दिये जाने वाले ऋणों के लिये 72.09 करोड़ रुपये की धनराशि सम्मिलित है। आयोजनागत योजनाओं के लिये दिये जाने वाले ऋणों में विद्युत परियोजनाओं के लिये दिये जाने वाले ऋणों के लिये 761.58 करोड़ रुपये तथा शहरी विकास के लिये वितरित किये जाने वाले ऋणों के लिये 47.00 करोड़ रुपये की धनराशि सम्मिलित है। आयोजनेतर पक्ष के लिये प्राविधानित 72.09 करोड़ रुपये में 56.91 करोड़ रुपये कृषि के लिये तथा 9.95 करोड़ रुपये की राशि सरकारी सेवाओं आदि को दिये जाने वाले ऋणों और अग्रिमों के लिये सम्मिलित है।

लोक खाता (शुद्ध) --

लोक खाता के अन्तर्गत लेन-देनों का सम्बन्ध राज्य सरकार द्वारा सृजित ऐसी निधियों तथा विभिन्न स्थानीय निकायों के निक्षेपों एवं अन्य निक्षेपों से है जिनके सम्बन्ध में राज्य सरकार की वास्तव में न तो कोई वास्तविक आय होती है और न ही वास्तविक व्यय, फिर भी इन लेन-देनों का राज्य सरकार की अर्थोपाय स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। बजट वर्ष में लोक खाता के अन्तर्गत लेन-देनों से 640.63 करोड़ रुपये की शुद्धि प्राप्ति का अनुमान है जो गत वर्ष की शुद्धि प्राप्ति के कुल अनुमानों से 1172.90 करोड़ रुपये कम है। कमियां मुख्यतः राज्य भविष्य निधियां तथा स्थानीय निधियों की जमा के अन्तर्गत अनुमानित हैं।

समस्त लेन-देनों का शुद्ध परिणाम---

अन्तरिम आय-व्ययक अनुमानों के आधार पर ऐसा अनुमान लगाया गया है कि समस्त लेन-देनों का शुद्ध परिणाम (-) 23.67 करोड़ रुपये रहेगा और तदनुसार ही वर्ष का अन्तिम शेष सम्प्रति (-) 151.10 करोड़ रुपये सम्भावित है।

सामान्य---

राज्य की कुल ऋण प्रस्तुता के ब्योरे नत्थी-1 में दिये गये हैं।

राज्य सरकार द्वारा विगत वर्षों में दिये गये और 1990-91 में दिये जाने वाले ऋणों की कुल अदत्त धनराशि के ब्योरे नत्थी-2 में दिये गये हैं।

नत्थियां

परची 1

विवरण-पत्र जिसमें राज्य की कुल ऋण प्रस्तता दिखाई गई है

(हजार रुपयों में)

शीर्षक	31 मार्च, 1989		1989-90 (पुनरीकित)		31 मार्च, 1990		1990-91 (आय-व्ययक)		31 मार्च, 1991
	रुब लिया गया	को शेष (वास्तविक आंकड़े)	लिया गया	दिया गया	को शेष (पुनरीकित)	लिया गया	दिया गया (आय-व्ययक)	को शेष	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
*--लोक ऋण--स्थायी ऋण--ऋण--									
1--बाजार उधार--									
(1) 4	प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1968	अगस्त, 1956	6,76	6,76	6,76
(2) 4	प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1969	अगस्त, 1960	8,45	..	8,45
(3) 4	1/4 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1970	जुलाई, 1958	17,83	..	1,00	16,83	..	1,00	15,83
(4) 4	प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1971	अगस्त, 1959	7,49	..	1,00	6,49	..	1,00	5,49
(5) 4	1/4 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1972	सितम्बर, 1961	10,18	..	1,00	9,18	..	1,00	8,18
(6) 4	1/2 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1974	अगस्त, 1962	10,36	..	1,00	9,36	..	2,00	7,36
(7) 4	3/4 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1976	अगस्त, 1964	14,67	..	3,00	11,67	..	5,00	6,67
(8) 5	1/2 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1977	अगस्त, 1965	44,52	..	2,00	42,52	..	5,00	37,52
(9) 5	1/2 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1978	सितम्बर, 1966	33,12	..	1,00	32,12	..	5,00	27,12
(10) 5	3/4 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1979	अगस्त, 1967	35,46	..	5,00	30,46	..	5,00	25,46
(11) 5	3/4 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1980	अगस्त, 1968	34,56	..	5,00	29,56	..	10,00	19,56
(12) 5	3/4 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1981	अगस्त, 1969	46,86	..	5,00	41,86	..	10,00	31,86
(13) 5	3/4 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1982	अगस्त, 1970	40,46	..	5,00	35,46	..	10,00	25,46
(14) 5	3/4 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1983	अगस्त, 1971	48,91	..	15,00	33,91	..	20,00	13,91
(15) 5	3/4 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1984	अगस्त, 1972	57,43	..	20,00	37,43	..	30,00	7,43
(16) 5	3/4 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1985	अगस्त, 1973	63,90	..	20,00	43,90	..	30,00	13,90
(17) 6	प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1984	अगस्त, 1974	1,02,09	..	20,00	82,09	..	30,00	52,09

(18)	6 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1985	अगस्त, 1975	37,76	..	10,00	27,76	..	15,00	12,76	
(19)	6 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1986	अगस्त, 1976	50,97	..	20,00	30,97	..	20,00	10,97	
(20)	6 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1987	अगस्त, 1977	1,60,89	..	40,00	1,20,89	..	50,00	70,89	
(21)	6 1/4 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1988	सितम्बर, 1978	2,20,46	..	50,00	1,70,46	..	60,00	1,10,46	
(22)	6 1/2 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1989	सितम्बर, 1979	42,34,20	..	39,50,00	2,84,20	..	60,00	2,24,20	
(23)	6 3/4 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण 1992	सितम्बर, 1980	42,44,85	42,44,85	42,44,85	
(24)	7 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1993	सितम्बर, 1981	93,36,12	93,36,12	93,36,12	
(25)	7 1/2 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1997	जुलाई, 1982	1,13,47,09	1,13,47,09	1,13,47,09	
(26)	8 1/4 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1995	अगस्त, 1983	1,51,41,72	1,51,41,72	1,51,41,72	
(27)	9 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1999	सितम्बर, 1984	2,41,41,22	2,41,41,22	2,41,41,22	
(28)	9 3/4 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 1998	सितम्बर, 1985	2,82,08,00	2,82,08,00	2,82,08,00	
(29)	11 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 2001	सितम्बर, 1986	2,77,84,35	2,77,84,35	2,77,84,35	
(30)	11 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 2002	अगस्त, 1987	3,14,51,42	3,14,51,42	3,14,51,42	
(31)	11 1/2 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण, 2008	अगस्त, 1988	3,65,29,76	3,65,29,76	3,65,29,76	
(32)	11.50 प्रतिशत उत्तर प्रदेश ऋण 2009	जुलाई, 1989	..	4,57,54,00	..	4,57,54,00	4,57,54,00	
(33)	नया ऋण	4,15,20,00	..	4,15,20,00	
*योग, बाजार उधार			..	19,34,71,86	4,57,54,00	41,83,45	23,50,42,41	4,15,20,00	3,70,00	27,61,92,41

*रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना पर आधारित।

(हजार करोड़ में)

शीर्षक	31 मार्च, 1989	1989-90 (पुनरीक्षित)		31 मार्च, 1990	1989-91 (आय-व्ययक)		31 मार्च, 1991	
	को शेष (वास्तविक आंकड़े)	लिया गया	दिया गया	को शेष (पुनरीक्षित)	लिया गया	दिया गया	को शेष (आय-व्ययक)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2—केन्द्रीय सरकार से उधार और अग्रिम—								
(1) साधनों की कमी को पूरा करने के लिये उधार	98,22,00	..	77,22,00	21,00,00	21,00,00	
(2) ग्राम बचत संग्रह का हिस्सा	21,07,34,00	8,05,48,00	48,71,40	28,64,10,60	7,70,00,00	48,71,40	35,85,39,20	
(3) राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिये उधार	21,64,21,25	8,60,96,80	1,63,54,52	28,61,63,53	7,32,64,00	2,20,94,31	33,73,33,22	
(4) केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिये उधार	20,13,38	9,10,01	1,78,23	27,45,16	..	1,90,73	25,54,43	
(5) केन्द्र प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं के लिये उधार	..	52,00,60	13,07,06	3,70,12	61,37,54	8,00	4,74,45	56,71,09
(6) अन्य आयोजना भिन्न उधार	..	29,35,49	43,85,36	42,74,26	30,46,59	64,75,29	74,75,78	20,46,10
(7) अर्पण अग्रिम	..	46,25,00	46,25,00	46,05,20
(3) 1984-85 से पहले के उधार	..	28,14,30,46	..	94,14,57	27,20,15,89	..	93,74,57	26,26,41,32
योग, केन्द्रीय सरकार से उधार और अग्रिम	..	73,31,82,18	17,32,47,23	4,31,85,10	86,32,44,31	15,67,47,29	4,44,81,24	97,55,10,36
3—स्वशासित निकायों से उधार—								
(1) खादी और ग्रामोद्योग आयोग से उधार	..	12,35	12,35	12,35
(2) भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीय कृषि ऋण निधि से उधार	..	44,70,56	25,00,00	2,09,27	67,61,29	20,00,00	3,00,05	84,61,24
(3) भारतीय जीवन बीमा निगम से उधार	..	65,38,72	36,00	3,60,09	62,14,63	3,58,00	4,93,84	60,76,79
(4) अन्य संस्थाओं से उधार	..	1,04,22,39	16,61,72	11,69,77	1,09,14,34	11,83,00	12,31,16	1,08,66,18
(5) भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से उधार	..	19,82,57	50,00,00	51,24,52	18,58,05	50,00,00	55,56,01	13,02,04
योग, स्वशासित निकायों से उधार	..	2,34,26,59	91,97,72	68,63,65	2,57,60,66	85,39,00	75,81,06	2,67,18,60
योग, उधार	..	95,00,80,63	22,81,98,95	5,42,32,20	1,12,40,47,38	20,68,06,29	5,24,32,30	1,27,84,21,37

ग्रन्थ दायित्व—

1—क्षति पूर्ति और अन्य बान्ड	45,93,86	5	2,01,51	43,92,42	5	2,01,51	41,90,96
2—प्रतिघबद ऋण—							
(1) भविष्य निधियों की जमा	9,26,01,73	5,85,60,00	1,10,00,00	12,01,61,73	2,17,40,00	1,05,00,00	13,14,01,73
(2) सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं एवं प्राचारिक विद्यालयों के कर्मचारियों की भविष्य निधियों के लेन देन	4,23,68,34	5,25,80,01	50,00,01	8,99,48,34	1,98,20,01	50,00,01	10,47,68,34
(3) बीमा और पेंशन निधियाँ	1,80,65,46	39,88,13	14,27,81	2,06,25,78	42,54,80	14,27,81	2,34,52,77
योग; 2	15,30,35,53	9,51,28,14	1,74,27,82	23,07,35,85	4,58,14,81	1,69,27,82	25,96,22,84
3—जमा और अग्रिम—							
(1) सिविल जमा राशियाँ	11,93,64,98	19,50,00,00	19,00,00,00	12,43,64,88	21,82,33,00	21,32,00,00	12,93,97,88
(2) स्थानीय निधियों की जमा	2,00,71,16	6,75,00,00	6,75,00,00	2,00,71,16	7,00,00,00	7,00,00,00	2,00,71,16
योग; 3	13,94,36,04	26,25,00,00	25,75,00,00	14,44,36,04	28,82,33,00	28,32,00,00	14,94,69,04
योग, ग्रन्थ दायित्व	29,70,65,45	35,76,28,19	27,51,29,33	37,95,64,31	33,40,47,86	30,03,29,33	41,32,82,84
बढ़ा योग	1,24,71,46,08	50,58,27,14	32,93,61,53	1,50,36,11,69	54,08,54,15	35,27,61,63	1,69,17,04,21

तृतीय-2

जिवरज-पत्र जितने राज्य सरकार द्वारा दिये गये उधार और अग्रिमों की प्रदत्त छेष अनुरोध दिखाई गई है

!(हजार रुपये में)

शीर्षक	31 मार्च, 1989	1989-90		31 मार्च, 1990	1990-91		31 मार्च, 1991
	को शेष (वास्तविक आंकड़े)	संवितरण (पुनरीक्षित)	प्राप्तियां (पुनरीक्षित)	को शेष (पुनरीक्षित)	संवितरण (आय-व्ययक)	प्राप्तियां (आय-व्ययक)	को शेष (आय-व्ययक)
1	2	3	4	5	6	7	8
6075--विविध सामान्य सेवाओं के लिये उधार ..	4,31,08	4,31,08	4,31,08
6202--शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति के लिये उधार ..	12,47,31	62,80	6,00	13,04,11	63,00	6,00	13,61,11
6215--जलपूर्ति और सफाई के लिये उधार ..	70,63,23	3,39,50	..	74,02,73	74,02,73
6216--आवास के लिये उधार ..	1,19,31,21	13,75,60	2,05	1,33,04,76	11,31,00	2,05	1,44,33,71
6217--नगर विकास के लिये उधार ..	1,54,93,84	48,63,87	..	2,03,57,71	47,00,00	..	2,50,57,71
6220--सूचना और प्रचार के लिये उधार ..	1,33,42	1,33,42	1,33,42
6225--अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये उधार	14,02,67	14,02,67	14,02,67
6235--सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिये उधार ..	2,95,21	20,84	1	3,16,04	6,59	1	3,22,62
6250--अन्य सामाजिक सेवाओं के लिये उधार ..	4,53,15	..	40	4,52,75	..	40	4,52,35
6401--कृषि कार्य के लिये उधार ..	62,78,99	50,22,75	47,27,80	65,73,94	56,91,23	58,35,41	64,29,76
6402--मृ और जल संरक्षण के लिए उधार ..	4,59,61	4,59,61	4,59,61
6403--पशुपालन के लिये उधार ..	78,64	..	60	78,04	..	60	77,44
6404--डेरी विकास के लिये उधार ..	10,51,05	1,00,00	60	11,50,45	..	60	11,49,85
6405--मीन उद्योग के लिये उधार ..	3,87	3,87	3,87
6406--वानिकी और वन्य जीवन के लिये उधार ..	2,27	84	72	2,39	1,05	18	3,26
6408--शांति, प्रन्धारण तथा प्रन्धारण के लिए उधार ..	11,66,03	95,39	44,26	12,17,16	..	23,25	11,93,91
6425--सहकारिता के लिये उधार	1,11,27,19	26,48,03	15,62,84	1,22,12,38	4,50,00	13,98,40	1,12,63,98
6435--अन्य कृषि कार्यक्रमों के लिए उधार ..	60,37	60,37	60,37
6506--मृ मि सुधारों के लिये उधार ..	42,10	42,10	42,10
6515--अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिये उधार ..	1,57,93	1,57,93	1,57,93
6551--पहाड़ी क्षेत्रों के लिये उधार ..	1,15,04,84	20,70,04	16,44	1,36,18,44	16,03,48	19,70	1,52,02,22

8702--लघु सिंचाई के लिए उधार	16,78,11	16,78,11	16,78,11
7005--कमान क्षेत्र विकास के लिए उधार	73,01,08	1,47,23	..	74,48,31	74,48,31
6801--विद्युत् परियोजनाओं के लिये उधार	41,05,82,30	3,94,31,50	2	45,00,13,87	7,48,58,50	..	52,48,72,37
6851--ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों के लिये उधार	46,18,13	8,37,45	2,23,70	52,31,88	1,00	1,79,19	50,53,69
6853--अलौह धातु खनन और धातु कर्म उद्योगों के लिये उधार	81,35	81,35	81,35
6854--सीमेंट और धातु भिन्न खनिजों के लिए उधार	24,07,52	24,07,52	24,07,52
6858--इंजीनियरी उद्योगों के लिये उधार	23,92,19	3,94,00	..	27,86,19	27,86,19
6859--दूर संचार और इलेक्ट्रॉनिकी उद्योगों के लिये उधार	2,17,10	3,66,00	..	5,83,10	5,83,10
6860--उपभोक्ता उद्योगों के लिये उधार	1,16,87,55	2,90,00	..	1,19,77,55	1,19,77,55
6885--अन्य उद्योगों और खनिजों के लिये उधार	81,41,27	13,93,00	2,81,04	92,53,23	1,18,60	69,51	93,01,72
7055--सड़क परिवहन के लिये उधार	3,01,36	3,01,36	3,01,36
7075--अन्य परिवहन सेवाओं के लिये उधार	58,61	58,61	58,61
7452--पर्यटन के लिए उधार	60,33	60,33	60,33
7465--सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं के लिए उधार	38,80	38,80	38,80
7610--सरकारी सेवाओं प्राप्ति को उधार	29,63,66	23,25,00	11,75,86	41,12,80	22,75,00	13,63,75	50,24,05
7615--विविध उधार	85,76	5,00,01	..	5,85,77	1	..	5,85,78
योग	52,30,59,22	6,22,83,85	80,42,34	57,73,00,73	9,08,98,86	88,99,05	65,93,00,54

NIEPA DC



D05192

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 195 सा०वित्त-26-2-90-(5005)-1990-2,500 (मैग०) ।

National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sector 10, Marg New Delhi-110016
DOC. No. D-5192
Date..... 30/6/90